22/7/24

पत्रावली पेश/वकील पक्षकार उपस्थित [illegible]

आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाता है विरुद्ध

निर्णय प्रश्न के लिखा जाकर पत्रावली

शामिल किया गया। पत्रावली फैसल सुनाए

नकल दिये बाद लेकर पत्रावली जमा लेख्य अभि-

मे शामिल हो

नायब तहसीलदार ... मुजफ्फरनगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
48 / 25	02.05.2025	22.12.2025

बउनवान

1. शारला देवी पत्नी श्री बल्लू राम यादव जाति अहीर निवासी चान्दपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार लैण्ड होल्डर मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 12 रकबा 0.1400, 1772 रकबा 0.1400, 1775 रकबा 0.1400, 2241 रकबा 0.0600, 2242 रकबा 0.0600, 2249 रकबा 0.0800, 2250 रकबा 0.0900, 2251 रकबा 0.1100, 310 रकबा 0.1100, 905 रकबा 0.0400, 906 रकबा 0.0400 कुल किता 11 कुल रकबा 1.0100 मे 47 / 1944 भाग, 312 रकबा 0.2300 मे 1 / 24 भाग, 1132 रकबा 0.3400 मे 13 / 1296 भाग, 1197 रकबा 0.1500 में से 47 / 1944 भाग, 1138 रकबा 0.2000 में से 47 / 3888 भाग, वाके ग्राम चान्दपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0 मे स्थित है। जो आराजी मिन प्रार्थीया की कब्जे कास्त खातेदारी की आराजी है जो आराजी प्रस्तत वाद प्रकरण में विवादित आराजी कहलावेगी।
2. यह है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 12 रकबा 0.1400, 1772 रकबा 0.1400, 1775 रकबा 0.1400, 2241 रकबा 0.0600, 2242 रकबा 0.0600, 2249 रकबा 0.0800, 2250 रकबा 0.0900, 2251 रकबा 0.1100, 310 रकबा 0.1100, 905 रकबा 0.0400, 906 रकबा 0.0400 कुल किता 11 कुल रकबा 1.0100 से 47 / 1944 भाग, 312 रकबा 0.2300 में 1 / 24 भाग, 1132 रकबा 0.3400 में 13 / 1296 भाग, 1197 रकबा 0.1500 में से 47 / 1944 भाग, 1138 रकबा 0.2000 में से 47 / 3888 भाग, वाके ग्राम चान्दपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

खैरथल तिजारा राज0 में स्थित है जो आराजी मिन प्रार्थीया की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी के राजस्व रिकार्ड मे मिन प्रार्थीया का नाम शारदादेवी पत्नि बल्लूराम व बिल्लूराम जाति अहीर निवासी चान्दपुर तहसील मुण्डावर दर्ज है।

3. यह है कि मिन प्रार्थीया का नाम आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि मे शारला देवी पत्नि श्री बल्लू राम यादव जाति अहीर निवासी चान्दपुर तहसील मुण्डावर दर्ज है। जो सही नाम है वास्ते मुलाहिजा फोटो काफी सलग्न प्रार्थना पत्र है।
4. यह है कि मिन प्रार्थीया का वास्तविक व सही नाम शारला देवी पत्नि श्री बल्लू राम यादव है। राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम शारदा देवी व पति का नाम कही पर बल्लूराम व कही पर बिल्लूराम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में अलग अलग नाम होने के कारण मिन प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिये मिन प्रार्थीया अपने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शारला देवी पत्नि बल्लू राम यादव दर्ज कराना चाहती है।
5. यह है कि मिन प्रार्थीया विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर कास्त करती चली आ रही हूं, भौके पर मिन प्रार्थीया का वास्तविक कब्जा चला आ रहा है। तथा राजस्व रिकार्ड मे मिन प्रार्थीया का नाम शारदादेवी पत्नि श्री बिल्लूराम दर्ज है। जिसके स्थान पर शारला देवी पत्नि श्री बल्लू राम यादव दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। जिसके लिये प्रार्थना पत्र दायर करना लाजिम आया है।
6. यह है कि मिन प्रार्थीया ने अप्रार्थी के समक्ष अनेको बार जाकर उक्त त्रुटि दुरुस्त करने का निवेदन किया, परन्तु दिनांक 29.04.2025 की लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब ने त्रुटि दुरूस्त करने से इन्कारकर दिया, तथा श्रीमान से आदेश लाने बाबत कहा, जिससे अविलम्ब ही दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।
7. यह है कि समय समय पर भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत उक्त नाम त्रटि को दुरूस्त करने के आदेश व निर्देश दिये जाते रहे है। अतः न्यायहित में आदेश दिया जावे कि राजस्व रिकार्ड से प्रार्थीया का नाम शारदादेव पत्नि श्री बिल्लूराम हजफ किया जाये तथा उसके स्थान पर शारला देवी पत्नि श्री बल्लू राम यादव जाति अहीर निवासी चान्दपुर दर्ज किया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र/वाद प्रकरण स्वीकार किया जाकर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल को आदेश दिया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर हाल 12 रकबा 0.1400, 1772 रकबा 0.1400, 1775 रकबा 0.1400, 2241 रकबा 0.0600, 2242 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

0600, 2249 रकबा 0.0800, 2250 रकबा 0.0900, 2251 रकबा 0.1100. 310 रकबा 0.1100, 905 रकबा 0.0400, 906 रकबा 0.0400 कुल किता 11 कुल रकबा 1.0100 में 47/1944 भाग, 312 रकबा 0.2300 में 1/24 भाग 1132 रकबा 03400 मे 13/1296 भाग, 1197 रकबा 0.1500 में से 47/1944 भाग, 1138 रकबा 2000 में से 47/3888 भाग, बाके ग्राम चान्दपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0 में प्रार्थीया का नाम शारदादेवी पत्नि श्री बिल्लू राम जाति अहीर निवासी चान्दपुर हजफ किया जावे तथा उसके स्थान पर शारला देवी पत्नि श्री बल्लू राम यादव जाति अहीर निवासी चान्दपुर तहसील मुण्डावर दर्ज किये जाने की आज्ञा सादिर प्रदान की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करावाई गई, अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, जमाबन्दी सम्वत 2071–74, ग्राम पंचायत का लैटर पैड चादपुर की प्रति पेश की।

प्रार्थी पक्ष की बहस

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत होकर निवेदन किया गया कि प्रार्थीया शारला देवी पत्नी श्री बल्लू राम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम चान्दपुर तहसील मुण्डावर की खातेदारी एवं कब्जे की आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीया का नाम त्रुटिवश शारदा देवी तथा पति का नाम कहीं बिल्लूराम एवं कहीं बल्लूराम अंकित हो गया है।

प्रार्थीया का वास्तविक व सही नाम शारला देवी पत्नी श्री बल्लू राम यादव है, जिसका स्पष्ट प्रमाण आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य पहचान पत्रों से सिद्ध होता है, जो पत्रावली पर पेश किये गये हैं।

यह नाम त्रुटि केवल लिपिकीय/प्रविष्टि संबंधी है, जिससे प्रार्थीया के अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रार्थीया लम्बे समय से विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है।

धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस प्रकार की नाम सम्बन्धी त्रुटि को दुरुस्त किया जाना पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

संक्षिप्त विवेचन

प्रकरण पत्रावली के अवलोकन एवं बहस के विचारोपरांत यह स्पष्ट है किकृ प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड एवं ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र यह सिद्ध करते हैं कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम शारला देवी पत्नी श्री बल्लू राम यादव है।

विवादित आराजी प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे की है, जिस पर किसी प्रकार का स्वामित्व विवाद नहीं है। राजस्व रिकार्ड में नाम का अंतर मात्र लेखन/प्रविष्टि संबंधी त्रुटि है। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ऐसी त्रुटि को दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर (हाल जिला खैरथल–तिजारा) को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम चान्दपुर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (हाल जिला खैरथल–तिजारा) स्थित आराजी खसरा नम्बर हाल 12 रकबा 0.1400, 1772 रकबा 0.1400, 1775 रकबा 0.1400, 2241 रकबा 0.0600, 2242 रकबा 0.0600, 2249 रकबा 0.0800, 2250 रकबा 0.0900, 2251 रकबा 0.1100, 310 रकबा 0.1100, 905 रकबा 0.0400, 906 रकबा 0.0400, (कुल किता 11, कुल रकबा 1.0100) एवं संबंधित अंश भागों के राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम "शारदा देवी पत्नी श्री बिल्लूराम/बल्लूराम" को हजफ कर उसके स्थान पर "शारला देवी पत्नी श्री बल्लू राम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम चान्दपुर तहसील मुण्डावर" दर्ज किया जावे। **तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।**

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner